

पत्रांक : टी.टी.प्रे. .... / 2017  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रषय

निदेशक (शैक्षणिक)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,  
पटना-17

सेवा में

प्राचार्य/प्राचार्या  
रॉयल हेरिटेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन  
रजारास, हाजीपुर, वैशाली।

पटना, दिनांक 26/05/2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मुंबई के उडीसा के ERCAPP-07/3, दिनांक 02.05.2016 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त समर्पित समुदाय जॉय प्रोत्साहन में प्रोत्साहन शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी -

शर्त :-

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 2014 में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुसूचि-22 (ब) में निर्दिष्ट प्रावधानों तथा प्रत्येक वर्ष में दो रोज दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का प्रबंधन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगी।
3. महाविद्यालय का नामांकन एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (College of Teacher Education and Mahila Mahavidyalay बनारस उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जे क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 के प्रमाणित कडिका 911, 912 के साथ कडिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदण्ड का पालन करना सुनिश्चित करेगी।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय योग का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से संबंधित कार्य सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं परीक्षण करना अनुशंसित है।
6. संस्थान द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त आय व्यय से संबंधित अकाउंट प्रोत्साहन सामग्री का उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विद्यार्थी रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदण्ड/व्यय का अनुपालन वेक के माध्यम से करेगी एवं उसके भावपूर्ण निष्पत्ति कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी।

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
  9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरात आरोप प्रमाणित हान पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
  10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित वर्गों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
  11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
  12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
  13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों का जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होगा तथा कोई भी अपक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
  14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं रखने होंगे।
  15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं यदि नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
  16. यदि किसी संस्थान का पूर्व/वर्तमान से संबद्धित वी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी सहाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेगा।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

### विश्वासभाजन



निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापक :

डी.टी.प्र. पटना, दिनांक 15/05/2017

प्रतिनिधि :

क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकण्ठ नगर, नयापल्लो, मुजफ्फरपुर, उदयपुरा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापक :

डी.टी.प्र. पटना, दिनांक 15/05/2017

प्रतिनिधि :

जिना शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17